प्रेषक

Whatsapp

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त एन.सी.आर.।
2. सभी संयुक्त निदेशक औद्योगिक सुरक्ष एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
3. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
4. सभी उप–निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, व स्वास्थ्य हरियाणा राज्य।
5. सभी उप श्रम आयुक्त, कल्याण, श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा राज्य।
6. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
7. सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हरियाणा राज्य।
8. सभी सहायक कल्याण अधिकारी श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा राज्य।

क्रमांकः–8/2-I to 125/1R-i/HSLE दिनांकः–17/7/2023

विषय : **हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 की समीक्षा हेतू माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 04.07.2023 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों अनुसार श्रम विभाग द्वारा जारी पदामीहित पोर्टल पर अधिक से अधिक नियोक्ताओं को पंजीकृत करवाने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय सम्बन्ध में मुझे आपको यह अवगत करवाने के निर्देश हुए हैं कि हरियाणा राज्य में दिनांक 15.01.2022 से लागू हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीद्वार रोजगार अधिनियम 2020 की समीक्षा बैठक माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, की अध्यक्षता में तथा श्रम रोजगार मंत्री, प्रधान सचिव श्रम, श्रम आयुक्त, हरियाणा महोदय की उपस्थिति में दिनांक 04.07.2023 को हुई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस अधिनियम की कार्य प्रगति समीक्षा में पाया गया कि केवल अब तक 1092 नियोक्ताओं ने अपना पंजीकरण पदाभीहित पोर्टल पर किया है तथा इससे अंसतोष जाहिर करते हुए उन्होंने श्रम विभाग हरियाणा को निर्देश दिए हैं कि तुरंत अधिक से अधिक नियोक्ताओं को श्रम विभाग के पदाभीहित पोर्टल निर्मित अंतर्गत हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीद्वार रोजगार अधिनियम, 2020 पर पंजीकृत करवाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसकी साप्ताहिक प्रगति समीक्षा श्रम व रोजगार मंत्री तथा प्रधान सचिव श्रम हरियाणा सरकार द्वारा की जाए व साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट उन्हें भी नियमित रूप से अग्रेषित की जाए। उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बैठक में यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जो भी क्षेत्रीय अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में स्थित नियोक्ताओं को पदाभीहित पोर्टल पर पंजीकृत करवाने के कार्य को प्रोत्साहित करने में रूचि नहीं लेता है तो उसके विरूद्ध सख्त विभागीय अनुशाषनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

उक्त अनुसार आपसे अनुरोध है कि आप सभी तुरंत श्रम विभाग हरियाणा द्वारा जारी पदाभीहित पोर्टल पोर्टल local.hrylabour.in पर जाकर इस अधिनियम बारे व इससे संबंधित

अधिसूचनाओं का अवलोकन कर लें ताकि अगर कोई नियोक्ता या स्थानीय उम्मीद्वार आपसे इस अधिनियम बारे जानकारी चाहे तो वो आप उन्हें देने में सक्षम हो सके। किसी भी तकनीकी जानकारी के लिए श्री मोहित जैन, मैनेजर टैक्नीकल श्रम विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अतः आप अपने–अपने अधीनस्थ अधिकारियों/निरीक्षकों की सहभागिता के साथ हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीद्वार रोजगार अधिनियम, 2020 की धारा–3 अनुसार अधिक से अधिक नियोक्ताओं को श्रम विभाग द्वारा जारी पदाभीहित पोर्टल पर पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करें तथा इसकी साप्ताहिक रिर्पोट मुख्यालय को भिजवाएं ताकि उप मुख्यमंत्री व श्रम व रोजगार मंत्री महोदय को उनके दिए गए निर्देशों की परिपालना सुनिशचित की जा सके। अगर आप दिए गए पंजीकरण कार्य में नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने में रूचि नहीं लेते हैं तो माननीय उप मुख्यमंत्री व श्रम एवं रोजगार मंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आगामी अनुशाषनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कृप्या इसे परम अग्रता देंवें।

17/7/2023
कृतेः श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ।

पृष्ठांकन क्रमांक–

दिनांक

1. निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के सूचनार्थ
2. निजी सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्री को माननीय श्रम व रोजगार मंत्री के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, प्रधान सचिव, श्रम को माननीय प्रधान सचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, हरियाणा को माननीय श्रम आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।

17/7/23
कृतेः श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ।

पृष्ठांकन क्रमांक–

दिनांक

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि वे सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अधिक से अधिक पंजीकरण पदाभीहित पोर्टल पर करवाने के लिए प्रोत्साहित करें तथा इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट श्रम आयुक्त महोदय को भी भिजवाते हुए माननीय श्रम व रोजगार मंत्री तथा प्रधान सचिव, श्रम विभाग महोदय हरियाणा को भी भिजवाना सुनिश्चित करें।

1. श्री अरविंद कुमार, अतिरिक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, मुख्यालय।
2. डॉ0 अनुराधा लांबा, अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
3. श्री रोहित बेरी, सहायक निदेशक आई0टी0 इंचार्ज, मुख्यालय।
4. श्री मोहित जैन, मैनेजर टैक्नीकल श्रम विभाग।

17/7/23
कृतेः श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ।